



छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

Phone No. 0771- 2437309& Fax No. : 0771-2429385

पत्र क्रमांक / 114 / विद्यो0 / कृ0नीति / 2023

रायपुर, दिनांक 28/07/2023

= संशोधित आदेश =

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर के आदेश क्रमांक/233/विद्यो0/2018 रायपुर दिनांक 30.06.2018 द्वारा जारी मण्डल की कृपांक नीति आंशिक संशोधन उपरान्त निम्नानुसार होगी :-

1. परीक्षा उत्तीर्ण करने लिये अधिकतम कृपांक 20 अंक होंगे।
2. कृपांक का लाभ अधिकतम तीन विषयों में दिया जा सकेगा। तीन से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण होने पर कृपांक का लाभ नहीं दिया जायेगा।
3. किसी भी विषय में कुल अंकों का अधिकतम 10% तक ही कृपांक दिया जायेगा
उदाहरणार्थ – 100 अंकों के सैद्धांतिक प्रश्नपत्र में अधिकतम – 10 अंक
80 अंकों के सैद्धांतिक प्रश्नपत्र में अधिकतम – 08 अंक
75 अंकों के सैद्धांतिक प्रश्नपत्र में अधिकतम – 08 अंक
70 अंको के सैद्धांतिक/प्रायोगिक प्रश्नपत्र में अधिकतम – 07 अंक
30 अंकों के सैद्धांतिक/ प्रायोगिक प्रश्नपत्र में अधिकतम – 03 अंक
25 अंकों के प्रायोगिक प्रश्नपत्र में अधिकतम – 03 अंक
20 अंकों के प्रायोजना प्रश्नपत्र में अधिकतम – 02 अंक
कृपांक के रूप में दिये जा सकेंगे।
4. उक्त कृपांक नीति मण्डल द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त परीक्षाओं हेतु लागू होगी।
5. कृपांक का लाभ अतिरिक्त विषय में नहीं दिया जायेगा।

Asm
26/7/23

(प्रोफेसर व्ही0 के0 गोयल)

सचिव

छ0 ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल
रायपुर